

# न्यायालय,समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी,खगड़िया।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक-ता0.....से.....

जिला-खगड़िया.....सा0.....,सन्.....

केस का प्रकार:-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में। वाद संख्या:-159/2017 राज्य बनाम 1111/2017 211/2017

आदेश की क्रम  
सा0 और तारीख

1

06.01.2018

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02.

आदेश पर की  
कार्रवाई के बारे

टिप्पणी

तारीख-सहित

3

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा 30(ए) के तहत थाना, मानसी थाना में दर्ज कांड संख्या-224/2017, दिनांक 23.09.2017, में 750 एम0एल0 का 20 (बीस) बोतल एवं 180 एम0एल0 का 408 (चार सौ आठ) बोतल विदेशी शराब जप्त किये गए विदेशी शराब के विनष्टीकरण हेतु पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के ज्ञापांक 16/हि0शा0, दिनांक 04.01.2018 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, मानसी का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि 750 एम0एल0 का 01 (एक) एवं 180 एम0एल0 का 03 (तीन) बोतल विदेशी माननीय न्यायालय के निदेशानुसार उत्पाद रसायन परीक्षक, बिहार पटना को भेजा गया है, तथा शेष 750 एम0एल0 का 19 (सन्नीस) बोतल एवं 180 एम0एल0 का 405 (चार सौ पाँच) बोतल विदेशी शराब थाना मानसी के मालखाना में रखा गया है।

पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वारस्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है।

अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा-57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानसी थाने के मालखाना में रखी गई कुल-750 एम0एल0 का 19 (सन्नीस) बोतल एवं 180 एम0एल0 का 405 (चार सौ पाँच) बोतल कुल-87.15 लीटर विदेशी शराब विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख-रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए थाना मानसी कांड संख्या-224/2017 के आधार पर जप्त की गई कुल-87.15 लीटर विदेशी शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे।

इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, मानसी /उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्ता, खगड़िया।




समाहर्ता, खगड़िया।

आदेश की  
क्रम सं० और  
तारीख  
1.

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर  
02.

आदेश पर की  
गई कार्रवाई  
के बारे में  
टिप्पणी  
तारीख-सहित  
3.

डी० वी० न०.....15...../विधि, दिनांक 13-01-2018  
प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थाना, मानसी  
/उत्पाद, अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया  
को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाइट पर अपलोड  
करने की कृपा की जाय।

  
पदाधिकारी  
जिला विधि शाखा  
खगड़िया  
13/01/18

विधि शाखा  
खगड़िया  
10, 11, 12, 13, 14, 15